संख्या- 77 / 2025 / 720 /चार-2025

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ : दिनांक 27 फरवरी, 2025

विषय:- जनपद फतेहपुर के ग्राम नन्दापुर, परगना कोड़ा तहसील खजुहा के शहीद त्रिदेव प्रसाद का अधूरा स्मारक को पूर्ण कराये जाने हेतु स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 3721/सं0नि0-6(06)/2024-25 दिनांक 21 दिसम्बर, 2024 के संदर्भ में अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित अप्रेजल समिति की दिनांक 23.12.2024 को सम्पन्न बैठक में जनपद फतेहपुर के ग्राम नन्दापुर, परगना कोड़ा तहसील खजुहा के शहीद त्रिदेव प्रसाद का अधूरा स्मारक को पूर्ण कराये जाने के संबंध में कार्यदायी संस्था- यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन रू0 39.62 लाख पर सहमति प्रदान करते हुए कार्य कराये जाने की संस्तुति की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद फतेहपुर के ग्राम नन्दापुर, परगना कोड़ा तहसील खजुहा के शहीद त्रिदेव प्रसाद का अधूरा स्मारक को पूर्ण कराये जाने हेतु रू0 39.62 लाख (रूपये उनतालीस लाख बासठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जायेगी। धनराशि आहरित कर बैंक/पोस्ट आफिस/ पी0एल0ए0 में जमा नहीं की जायेगी।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है यदि बजट के सबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय, लखनऊ का होगा।

(5) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था- यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 के बैंक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।

(9) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 39,62,000.00 (रुपये उनतालीस लाख बासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202048001500 -स्वतंत्रता के पश्चात् युद्धों में शहीद सेनानियों की स्मृति में शहीद स्मारकों का निर्माण **मानक मद** - 24- वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्राशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या- 77 /2025/ 720 (1) /चार-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, फतेहपुर।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- महाप्रबन्धक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।